

मतदाता सूची में गलत जानकारी दी तो एक साल तक की हो सकती है जेल

लापरवाही पर अधिकारियों को भी नहीं मिलेगी राहत, तीन माह से दो साल तक सजा का प्रावधान

अमर उजाला ब्यूरो



लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चेतावनी दी है कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में गलत जानकारी देने या गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 और 32 का सख्ती से इस्तेमाल किया जाएगा।

पीलीभीत में अधिकारियों के खिलाफ इस प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और संबंधित अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। धारा 31 में झूठी घोषणा पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं, धारा 32 के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तीन माह से दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

रिणवा ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन फॉर्म-6ए भरने को कहा है। ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर फोटो और जन्मतिथि व निवास के प्रमाण के साथ फॉर्म-6 भरें। आधार भी मान्य है। नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और पता बदलने, संशोधन, ईपीआईसी बदलने या दिव्यांगता चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। आवेदन ECINET ऐप या voters.eci.gov.in पर कर सकते हैं। शिकायतें ngsp.eci.gov.in पर दर्ज की जा सकती हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भविष्य में आम सहमति बनने पर वोटर आईकार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है।

मतदाता हेल्प लाइन : चुनाव आयोग का राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (टोल फ्री नंबर 1950 या 1800-11-1950) और राज्य संपर्क केंद्र (टोल फ्री नंबर 1800-180-1950) पूरे वर्ष निरंतर गतिमान रहता है। मतदाता जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करके जिला संपर्क केंद्र से मदद ले सकते हैं।

पंचायत की सूची से होगा विधानसभा की सूची का मिलान : मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल किए जाने के उद्देश्य से विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत एवं नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से करने के निर्देश सभी डीएम को दिए गए हैं। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची में है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।

योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम न होने के दावे पर आयोग बोला- हम धर्म-जाति के आंकड़े नहीं जुटाते

लखनऊ। अगर कोई व्यक्ति इरादतन एक से अधिक जगह वोटर बनना चाहता है तो उसे आयोग का सॉफ्टवेयर पकड़ सकता है, इस सवाल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि आज हमारे पास काफी अपडेट साफ्टवेयर है। डुप्लीकेट मतदाताओं को आसानी से पकड़ सकते हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान कि एसआईआर में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब हैं के सवाल पर रिणवा ने दोहराया कि हमारे पास धर्म के आधार पर आंकड़े होते ही नहीं हैं, लेकिन बाजार में ऐसे साफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनके जरिये राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची को डाउनलोड करके इस तरह के अनुमानित आंकड़े निकाल सकता है। हम आपको (मीडिया को) आंकड़े दे चुके हैं कि इससे ज्यादा नागरिक अभी छूटे हुए हैं। ब्यूरो

हर दिन ईआरओ दफ्तर पर चस्पा होगी दावे-आपत्तियों की सूची : रिणवा ने बताया एसएसआर के तहत जारी ड्राफ्ट सूची सभी डीएम ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी है। यह आयोग की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, संशोधन या प्रतिस्थापन के लिए फॉर्म-8 या प्रस्तुत दावे के विरुद्ध आपत्ति के लिए फॉर्म-7 भर सकते हैं। दावे एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची रोजाना संकलित कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायएगी। प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर इन सूचियों को उपलब्ध कराएंगे।

योगी कड़े फैसले लेने वाले सीएम : राजभर



कहा, सपा के गढ़ में भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहीं

लखनऊ। कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना की है। कहा, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में योगी जैसा मेहनती और कठोर फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री नहीं देखा। अखिलेश यादव और मायावती के समय यह धारणा थी कि नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में नहीं लौटता, पर योगी ने कई बार नोएडा जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ा और लगातार दूसरी बार सीएम बनकर इतिहास रचा। वह हर महीने 22 से 25 जनसभाएं करते हैं। यूपी से माफियाराज खत्म भी कर दिया। उन्होंने आगामी चुनाव में भी एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि एटा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद और मैनपुरी जैसे इलाकों में भी लोग सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव महसूस कर रहे हैं। पहले महिलाएं और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। किसानों की जमीन पर दबंग कब्जा कर लेते थे। अब ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है। ब्यूरो

अखिलेश ने सपा को कमजोर किया

राजभर ने कहा कि 2022 में 111 सीटें जीतने वाले अखिलेश दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सामने भी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें अपने पिता पर लिखी किताब के प्रमोशन के लिए समय नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी के बुलावे पर तुरंत पहुंच गए। कहा, जिस पार्टी को मुलायम-शिवपाल ने खड़ा किया, उसे अखिलेश ने कमजोर कर दिया। अगर शिवपाल ने आत्मकथा लिख दी तो परिवार और पार्टी में अखिलेश की भूमिका औरंगजेब की हो जाएगी जिसने सत्ता के लिए अपनों को किनारे कर दिया था। कांग्रेस के साथ रहकर वह अपनी पार्टी को फिर 47 सीटों तक पहुंचाना चाहते हैं।





अवध में अयोध्या से चुनावी अभियान का आगाज करेंगे आकाश

अक्षय कुमार



बसपा के राष्ट्रीय संयोजक की 20 को बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में होगी जनसभा

लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सबसे आगे है। पार्टी की अब तक प्रदेश में कई जनसभाएं हो चुकी हैं और 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं।

बसपा के प्रचार अभियान की कमान राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने संभाल रखी है। उन्होंने अगस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी सभाओं की शुरुआत की थी। इसके तहत हाथरस के सादाबाद और गौतमबुद्धनगर के जेवर में जनसभाएं की थीं। हालांकि, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया गया था, जिससे पार्टी का प्रचार अभियान कुछ समय के लिए थम गया। पार्टी में वापसी और दोबारा राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद उन्होंने फिर से सभाएं शुरू कर दी हैं।

हाल ही में उन्होंने बिजनौर के बढ़ापुर, सहारनपुर के नकुड़ और बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं। इस दौरान कई सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए। पश्चिमी यूपी की सभाओं में उनके निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने सपा को पीडीए के नारे पर घेरते हुए भाजपा की बी टीम तक करार दिया। साथ ही बहुजन समाज के मतदाताओं से एकजुट रहने की अपील की।

आकाश ने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा और बसपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था की याद दिलाई।

अब बसपा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में चुनावी सभाओं की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत 20 नवंबर को अयोध्या से होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया अयोध्या दौरे के बीच बसपा के इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

- बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने हाल ही में अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक की थी। इसमें 20 नवंबर को श्री रमणक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पंडितपुर, सोहावल में होने वाली आकाश आनंद की जनसभा को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आकाश इस दौरान पार्टी प्रत्याशी की घोषणा भी कर सकते हैं।

मंडलीय सम्मेलन के जरिये कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी कांग्रेस



लखनऊ। कांग्रेस की रणनीति है कि मंडलीय सम्मेलनों की जरिये पार्टी के नए व पुराने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जाए। इसकी शुरुआत बुधवार को बुंदेलखंड से होगी। प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना करेंगी। वह झांसी में सम्मेलन के बाद झांसी व चित्रकूटधाम मंडल की सभी जिलेवार समीक्षा करेंगी इसके बाद 20 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष शाहजहांपुर पहुंचेंगी। यहां होने वाले मंडलीय सम्मेलन में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और फर्रुखाबाद के सभी पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और वर्तमान व पूर्व जिलाध्यक्ष से लेकर वार्ड कमेटी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की अब तक की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। चुनाव के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद जिला एवं शहर इकाई के पदाधिकारियों के साथ एक अलग से बैठक होगी। इसमें जिलेवार समीक्षा भी की जाएगी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष 21 नवंबर को आगरा में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगी। ब्यूरो

एच0सी0जे0 फार्म संख्या 23 भाग 7
हेतु संदर्भित करने की सूचना (साधारण प्रारूप)
न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर गोण्डा वाद संख्या 17497/2022, T202208300917497 सन.....ई0 इशरत जाकिया प्रति सरकार आदि बनाम इशरत जाकिया निवासी मौजा-हुसैन मऊ, पो0-लिवली तहसील नवाबगंज जनपद-बाराबंकी, राजेश कुमार शर्मा पुत्र जीवनलाल शर्मा निवासी मोहल्ला-महराजगंज शहर पर. तह. व जिला- गोण्डा, तारिक हफीज पुत्र मो. हफीज निवासी मोहल्ला-रकाबगंज शहर पर.तह. व जिला-गोण्डा, अरूण कुमार शर्मा पुत्र जीवन लाल शर्मा निवासी मोहल्ला-महराजगंज, पर.तह. व जिला-गोण्डा, उमेश कुमार शर्मा पुत्र जीवन लाल शर्मा, निवासी मोहल्ला-महराजगंज शहर, पर. तह. व जिला-गोण्डा, बिन्देश्वरी प्रसाद पुत्र गुरू सहाय निवासी मोहल्ला-महराजगंज, पर. तह. व जिला-गोण्डा, महरून्निशा पत्नी तैय्यब अली, नि. पड़रौना, जनपद-देवरिया, जुगुल किशोर पुत्र स्व. गुरू सहाय निवासी मोहल्ला-महराजगंज, पर. तह. व जिला- गोण्डा, अमित कुमार शर्मा पुत्र जीवन लाल शर्मा, निवासी मोहल्ला-महराजगंज शहर, पर. तह. व जिला-गोण्डा, श्रीमती हसीबुन्निशा पत्नी अब्दुल रहमान, निवासी ग्राम-एकडगा पो.-बेलवा बहुता, पर. तह. व जिला-गोण्डा, श्रीमती तसलीमुनीशा पत्नी मो. खलील निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील-डुमरियागंज, जिला-सिद्धार्थनगर, अंगूरीमती पत्नी स्व. जीवन लाल शर्मा, निवासी ग्राम-महराजगंज शहर पर. तह. व जिला-गोण्डा, दिनेश कुमार शर्मा पुत्र जीवन लाल शर्मा, निवासी मो. महराजगंज शहर पर.तह. व जिला गोण्डा, मो. सिद्दीकी पुत्र मो. हफीज निवासी मोहल्ला-रकाबगंज शहर, पर. तह. व जिला-गोण्डा, रामतेज पुत्र गुरूसहाय निवासी मोहल्ला-महराजगंज, पर.तह. व जिला-गोण्डा। चूंकि ऊपर नामांकित ने इस न्यायालय में यह निवेदन किया है कि 18.11.2026 अतः एवं आपको एतदद्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हेतु संदर्भित करने के लिए दिनांक 18.11.2026 को 10 बजे पूर्वान्ह स्वयं और सम्यक का अनदिट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हों और ऐसा करने में सफल न रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित दिनांक को निकाली गई। -न्यायालय

GOVERNMENT OF MEGHALAYA
EDUCATION DEPARTMENT

No.EDN. 124/2026/41 Dated Shillong, the 3rd November, 2026

CONTINUATION NOTICE

Subject: Extension of last date for submission of student details for the conduct of examinations for CMJ University, Meghalaya

In continuation of the Public Notice issued by the Education Department vide No.EDN.124/2026/29, dated 30th September, 2026, it is hereby notified for general information of all presently enrolled Diploma, Undergraduate, and Postgraduate students of CMJ University that the last date for submitting personal and academic details via the designated Google Form has been extended.

The online form link: https://forms.gle/3aMvMVWX2DxnNSzv5 will now remain active to accept responses until 1st December, 2026.

All eligible students who have not yet registered are strongly advised to complete the submission within this extended window. Failure to do so will hinder the examination process, as these details are mandatory for arranging examinations under external agencies / third-party institutions supervised by the State Education Department.

MIPR No. : 1989
Dated : 03-11-2026

Sd/-
Administrator, CMJ University, Meghalaya
& Joint Secretary to the Govt. of Meghalaya
Education Department

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार।

पत्रांक- 545/ न०नि०हरि० (कु० मे0-2027)/2026-27 दिनांक- 17/11/2026

ई-निविदा सूचना

निविदा समिति की स्वीकृति के क्रम में नगर निगम हरिद्वार द्वारा कुम्भ मेला-2027 में Construction Of Community park (City Forest Park) in Tibdi, District Haridwar (Uttrakhand) under Kumbh Mela 2027 के कार्य हेतु टू-बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) प्रक्रिया के माध्यम से फर्म का चयन किये जाने हेतु www.uktenders.gov.in पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
उक्त निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना www.uktenders.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

S. No.	Scheduled/Information	Date	Time
1	Date of Online publication	17/11/2026	5:00 PM
2	Document Download start Date	17/11/2026	5:00 PM
3	Pre bid meeting (Nagar Nigam Office)	23/11/2026	3:00 PM
4	Online Bid submission Start Date	24/11/2026	5:00 PM
5	Online Bid submission End Date	01/12/2026	3:00 PM
6	Offline Submission of Hard/Original copy of Document End date	01/12/2026	3:00 PM
7	Bid opening Date	01/12/2026	4:00 PM

उपरोक्त तिथियों में कोई भी संशोधन/ परिवर्तन मात्र www.uktenders.gov.in वेबसाईट पर ही Publish किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता
पी०आई०यू०/ आर०डब्लू०डी०
नगर निगम हरिद्वार

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, रायबरेली
द्वितीय तल, 920-लोधवारी कोठी, डिग्री कॉलेज चौराहा, रायबरेली-229001
फोन: 8601804406, 8601800065 ईमेल: sarrae@bankofbaroda.com

चल एवं अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना "अनुर्गत-IV-A [नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित चल एवं अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभार युक्त सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया गया है को बैंक के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आस्ति/देय/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (ईएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

ई-नीलामी की तिथि 23-12-2026 **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 22-12-2026 upto 5.00 PM**

धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन एनईएफटी/ट्रांस्फर (चालान निष्पादन के बाद) (https://baanknet.com) के द्वारा बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋणियों/जमानतदारों का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण ज्ञात अतिक्रमणों सहित, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/अग्रिम धनराशि/बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय
1	**ऋणकर्ता:-** मेसर्स शुक्ला ट्रेडर्स प्रो0 श्री रूपेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश शुक्ला पता: फतेहपुर रोड, गेगासों, रायबरेली-229216 **जमानतकर्ता: श्री ओम प्रकाश शुक्ला एवं श्री राम प्रकाश शुक्ला पुत्रगण स्व0 राज नारायण शुक्ला** दोनों निवासी फतेहपुर रोड, गेगासों, रायबरेली-229216	साम्यिक बंधक एक किता मकान क्षेत्रफल पूरब से पश्चिम 50-1/2 फिट एवं उत्तर से दक्षिण 35 फिट = 1767 वर्ग फिट = 168 वर्ग मी0 स्थित ग्राम पूरे देवी, एच/ओ कोरिहरा, परगना डलमऊ, तहसील लालगंज एवं जिला रायबरेली। **मालिक: श्री ओम प्रकाश एवं श्री राम प्रकाश पुत्रगण श्री राज नारायण शुक्ला** निवासी गेगासों, परगना डलमऊ, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। **चौहद्दी: पूरब:** सदर दरवाजा एवं मकान की सहन उसके बाद 16 फिट रास्ता, **पश्चिम:** सरजू एवं अन्य के मकान, **उत्तर:** रामदास यादव की परती भूमि, **दक्षिण:** रामफेर यादव का अहाता।	रू. 14,46,345.66 + ब्याज एवं अन्य खर्च (मांग सूचना व कब्जा सूचना के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर)	23.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	रू. 27,00,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 2,70,000/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	18.11.2026 से 22.12.2026 समय 10:00 AM से 4:00 PM
2	**ऋणकर्ता:-** मेसर्स सिद्धि विनायक शीत गृह प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक श्री सूर्य प्रताप सिंह एवं श्री नरेंद्र बहादुर सिंह, पंजीकृत कार्यालय बी-16, डिफेंस कॉलोनी, तेलीबाग, लखनऊ-226002 तथा फैक्ट्री का पता ग्राम-दुबहन, सलोन, रायबरेली-229127 **कॉर्पोरेट जमानतकर्ता: मेसर्स अरूशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशकों के माध्यम से: 1 श्री चंद्र प्रताप सिंह, श्री जगतेंद्र प्रताप सिंह, श्री जितेंद्र बहादुर सिंह,** पता- 4/24, करहिया कोठी, सत्य नगर, रायबरेली-229001 **सहित जमानतकर्ता: 1. श्री नरेंद्र बहादुर सिंह, पुत्र स्व० श्री रामेश्वर सिंह,** निवासी ग्राम-सराय नभ मजरे बैरामपुर, पोस्ट-करहिया बाजार, सलोन, रायबरेली-229124, **2. श्री चंद्र प्रताप सिंह, पुत्र स्व० श्री चंद्र पाल सिंह,** निवासी 4/24, करहिया कोठी, सत्य नगर, रायबरेली-229001, **3. श्री जगतेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री जगत रणवीर सिंह,** निवासी ग्राम-पियारेपुर, पोस्ट-करहिया बाजार, सलोन, रायबरेली-229124, **4. श्री सूर्य प्रताप सिंह, पुत्र श्री जगत रणवीर सिंह,** निवासी ग्राम-पियारेपुर, पोस्ट-करहिया बाजार, सलोन, रायबरेली-229124 एवं **5. श्री जितेंद्र बहादुर सिंह, पुत्र श्री दुर्गा सिंह,** निवासी बी-16, डिफेंस कॉलोनी, सेंट एंथोनी स्कूल, रायबरेली रोड, लखनऊ-226002	संपत्ति स्थित गाटा संख्या 89मि एवं 89ग, **क्षेत्रफल 1530.00 वर्ग. मीटर,** ग्राम दुबहन, परगना एवं तहसील सलोन, जिला- रायबरेली **मालिक: मेसर्स सिद्धि विनायक शीतगृह प्रा. लिमिटेड, चौहद्दी- पूर्व-** प्लॉट सं0 89क; **पश्चिम-** बिंदेश्वरी का प्लॉट; **उत्तर-** रास्ता; **दक्षिण-** सूर्य प्रताप सिंह का प्लॉट।	रू. 89,90,811.91 + ब्याज एवं अन्य खर्च (मांग सूचना व कब्जा सूचना के बाद अगर कोई भुगतान है, को घटाकर)	23.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे	रू. 1,08,35,000/- (आरक्षित मूल्य) रू. 10,83,500/- (अग्रिम धनराशि) रू. 10,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	सांकेतिक	18.11.2026 से 22.12.2026 समय 10:00 AM से 4:00 PM

नोट: सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2) और 8(6) के तहत उप सांविधिक 30 दिनों की बिक्री सूचना हेतु सूचना।
बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक का अवलोकन करें:- **www.bankofbaroda.in/ & Baanknet website: https://baanknet.com** तथा इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0 **8601804406** से सम्पर्क करें।

नियम और शर्तें (केवल सांकेतिक कब्जे के लिए):- (क) जो संपत्ति प्रतीकात्मक कब्जे में है और बोलीदाता अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर प्रतीकात्मक कब्जे में संपत्ति खरीद रहा है। **(ख)** बैंक संपत्ति का कब्ज़ा केवल प्रतीकात्मक रूप से सौपेगा और सफल नीलामी बोलीदाता/खरीदार बैंक से भौतिक कब्जे का दावा नहीं करेगा। **(ग)** बैंक भौतिक कब्ज़ा सौंपने के लिए जिम्मेदार या कर्तव्यबद्ध नहीं होगा। **(घ)** सफल नीलामी क्रेता पैसे की वापसी के किसी भी मामले में किसी भी ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा। **(ङ)** सफल नीलामी क्रेता को ई-नीलामी के तुरंत बाद उपरोक्त नियमों और शर्तों की पुष्टि करते हुए घोषणा सह वचन पत्र जमा करना होगा। **(च)** बिक्री के बाद यदि सफल बोलीदाता घोषणा सह वचन पत्र जमा करने में विफल रहता है, तो बोली ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।

दिनांक: 18.11.2026, स्थान: रायबरेली **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

SCAN HERE